



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING

नौवहन महानिदेशालय / DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING

“बिटा बिल्डिंग”, 9 वी मंजिल / “BETA BUILDING”, 9th FLOOR

आय-थिंक टेक्नो कॅम्पस / I-THINK TECHNO CAMPUS

कांजुर गाँव रोड / KANJUR VILLAGE ROAD

कांजुर मार्ग (ईस्ट) / KANJUR MARG (EAST)

मुंबई - 400 042 / MUMBAI - 400 042

टेलीफोन: 022-25752040/1/2/3

फैक्स: 022-25752029/35

ई-मेल: dgship-dgs@nic.in

वेब: www.dgshipping.gov.in

Tele: 022-25752040/1/2/3

Fax: 022-25752029/35

E-mail: dgship-dgs@nic.in

Web: www.dgshipping.gov.in

फाईल सं. पीबी-29(3)/98

दिनांक: 03.01.2018

कार्यालय आदेश संख्या 03/2018

एमएसीपी स्कीम के अंतर्गत दिनांक 17.02.2016 के इस कार्यालय आदेश 22 के अनुसार श्री मुकुल दत्ता उप नौविक पाल की की स्वीकृती अपग्रेडेशन पर फिर से विचार किया गया और यह पाया गया की।

(ए) वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या फाईल नं. 1/1/2008-आई/सी के दिनांक 13.11.2009 के अनुसार इस कार्यालय ने अवने कार्यालय संख्या संख्या 134 दिनांक 11.12.2009 के अनुसार पे स्ट्रक्चर पिरशोधित किया था (सहायक नाविकपाल/सहायक निदेशक) रु. 9300-34800 + ग्रेड पे रु. 4200/- को रु. 9300-34800 + ग्रेड पे रु. 4600/- किया गया था।

(बी) श्री मुकुल दत्ता की नियुक्ति के समय वे 01/03/1999 से उस समय प्रचलित वेतनमान रु. 6500-200-10500 (5 वां सीपीसी वेतन मान) ने सहायक नाविक पाल/सहायक निदेशक के रूप में नियुक्त हुए थे। इस के बाद वे 01/03/2001 के सहायक नाविक पाल। सहायक निदेशक के पद पर कन्फर्म हुए।

(सी) इसके बाद वे उप नाविक पाल/उप निदेशक के पद पर तत्कालिन वेतन माल रु. 9300-34800 + ग्रेड पे रु. 4600 में 30.11.2004 से पदोन्नत हुए और रु. 4600/- रुपया के ग्रेड पे मे दस साल की निरंतर नियमित सेवा पूरी करने के उपरांत उन्हें दिनांक 17/02/2018 के कार्यालय आदेश संख्या 22 के अनुसार 30.11.2014 से दूसरा वित्तीय अपग्रेडेशन दिया गया।

(डी) अशोधित एमएसीपी के अंतर्गत अपग्रेडेशन दिए जाने के प्रयोजन से छठे वेतन आयोग धारा संसृत वेतन मानोको मिलाए जाने पदों का अपग्रेड किए जाने के कारण एक जैसी ग्रेड पे वाले ग्रेडों में जो है उन्हें एएसीपी के अंतर्गत प्राप्त पदोन्नोती दिया गए अपग्रेडेशन को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी दिनांक 19/05/2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 35034/3/2008- स्थापना के पैरा पांच अनुलग्नक के अनुसार ध्यान नहीं रखा जाएगा क्योंकि सहायक नाविक पाल और उप नाविक पाल की ग्रेड पे फिर से यानी रु. 4600/- रुपए है उन्हें उप नाविक पाल के रूप में दी गई पदोन्नति की उपर्युक्त ज्ञापन के प्रवधानो के अनुसार ध्यान में नहीं रखना होगा। 01/03/2009 को उन्होंने रु. 4600/- रुपया की ग्रेड पे मे दस साल की नियमित सेवा पूरी कर ली है। 01/03/2009 को पहली एसीपी देय हो गई थी जो कि रु. 4800/- रुपया के ग्रेड पे मे थी बजाय इसके की उन्हें 30.11.2014 से दूसरा वित्तीय अपग्रेडेशन दिया जाय।

(2) इसलिए सक्षम प्राधिकारी ने आदेश दिया है कि श्री मुकुल दत्ता उप नाविक पाल को दिनांक 17.02.2016 के आदेश संख्या 22 के अनुसार 30.11.2014 से की बजाय 01/03/2009 से पे बैंड 2 के वेतन मान मे रु. 9300-34800 ग्रेड पे रु. 4800/- मे पहली एमएसीपी दी जाए।

(3) इस समीक्षा के आधार पर श्री टी. के. कृष्ण कुमार, उप निदेशक नाविक रोजगार कार्यालय, समुद्री वाणिज्य विभाग शंकर बिल्डिंग राजाजी सालाई चेन्नई द्वारा माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकारीन के समक्ष फाईल किया गया। ओ.ए. 310/1146/2017 में दिनांक 20/07/2017 को दिया गया मौखिक आदेश था।

(4) इसे नौवहन महानिदेशक और विशेष सचिव, भारत सरकार के अनुमोदन जारी किया जाता है।



(सुभाष बरगुजर)

उप नौवहन महानिदेशक (कार्मिक)

सेवा में,

श्री मुकुल दत्ता, उप नाविक पाल, सरकारी नौवहन कार्यालय, मुंबई.

जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित की प्रतिलिपि,

1. प्रधान अधिकारी, समुद्री वाणिज्य विभाग, मुंबई श्री मुकुल दत्ता, उप नाविक पाल के वेतन निर्धारण में संशोधन करने और उनके कारण वेतन के बकाया राशि को संशोधित करने के अनुरोध के साथ।
2. वेतन एवं लेखा अधिकारी (नौवहन), मुंबई.